153 19 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के सशक्तिकरण पर विशेषज्ञों के तदर्थ समूह की सिफारिशें – नवरत्न और मिनिरत्न कंपनियों द्वारा सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेश

सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के अंतर्गत ऐसी सफल, लाभ कमानेवाली कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता विकसित करने की सिफारिश की गई है, जो प्रतिस्पर्धी वातावरण में अपना प्रचालन करती हैं। इसके अनुक्रम में भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने नवंबर 2004 में डॉ0 अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक तदर्थ समूह (एजीई) का गठन किया, जो सीपीएसई को अधिक स्वायत्तता, वित्तीय शक्तियों का बेहतर प्रत्यायोजन आदि जैसे मुद्दों पर विचार करेगा। एजीई की सिफारिशों पर सरकार द्वारा दो चरणों में विचार किया गया है। पहले चरण में सरकार द्वारा नवरतन, मिनिरत्न और अन्य लाभ कमाने वाले सीपीएसई की शक्तियों के विस्तार से संबंधित सिफारिशों पर विचार किया गया और 05.08.2005 को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।

2. एजीई की शेष सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार ने धारक कंपनियों को इस शर्त के अध्यधीन अपनी सहायक कंपनियों में परिसंपत्तियों के स्थानांतरण, नए सिरे से इक्विटी शामिल करने और शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए अधिकार प्रदान करने का निश्चय किया है कि यह प्रत्यायोजन ऐसी सहायक कंपनियों के संदर्भ में होगा, जिनका गठन नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई को प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा किया जाएगा और इसके अलावा यह प्रावधान लागू होगा कि :

(क) संबंधित सीपीएसई (सहायक कंपनी सहित) की सार्वजनिक क्षेत्र में पहचान (साख) सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं की जाएगी; और

(ख) ऐसे नवरत्न और मिनिरत्न सीपीएसई को अपनी सहायक कंपनियों से बाहर आने से पहले उन्हें सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय को नोट करें और इस संबंध में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई को उपयुक्त ढंग से सलाह दें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 18 (16)/2005–जीएम–जीएल–82, दिनांक 23 मई 2007)

*****